

## पछिड़ों के आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने मुख्यमंत्री को साँपी सर्वे रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

9 मार्च, 2023 को नकिया चुनाव में पछिड़ों का आरक्षण तय करने के लिये गठित उपर राज्य स्थानीय नकिया समरपति पछिड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदतियनाथ को रिपोर्ट साँप दी।

### प्रमुख बदि

- वदिति है कनिकिया चुनाव के लिये नगर वकिस वभिग द्वारा जारी आरक्षण सूची पर आपत्तजिताते हुए लोगों ने कोर्ट में याचकिया दाखलि की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बनिा आरक्षण के ही चुनाव कराने के नरिदेश दिये थे।
- इस फैसले के खलिाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक ज़िलों का सर्वे कराके रिपोर्ट तैयार करने के नरिदेश दिये थे, लेकिन यह रिपोर्ट तय समय-सीमा से करीब 22 दिन पहले ही सरकार को साँप दी गई है। 350 पेज की इस रिपोर्ट को 2 महीने 10 दिन में तैयार कया गया है।
- गौरतलब है कप्रदेश सरकार ने 28 दसिंबर, 2022 को हाईकोर्ट के सेवानवृत्त न्यायमूर्त राम औतार सहि की अध्यक्षता में पाँचसदस्यीय आयोग का गठन कया था। गठन के बाद आयोग ने प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में पछिड़ों की आबादी का सर्वे कराने के साथ ही रैपडि सर्वे में दखािए गए पछिड़ी जातके आँकड़ों, पूर्व में शासन द्वारा जारी आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रया आदिका परीक्षण कया।
- आयोग ने ज़िले में भरमण के दौरान चक्रानुक्रम आरक्षण और रैपडि सर्वे प्रक्रया में मलिी खामयिों एवं उनहें दूर करने के लिये सुझाए गए उपायों के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
- आयोग की रिपोर्ट मलिने के बाद अब इसे कैबनिट में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए उत्तर प्रदेश में नकिया चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी।
- आधिकारिक सूत्रों का कहना है कआयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलट-फेर होगा। नगर वकिस वभिग ट्रपिल टेस्ट के आधार पर मेयर व अध्यक्ष की सीटों का नए सरि से आरक्षण करेगा। अनारक्षति कई सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं।
- वभिग के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कप्रदेश सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का काम शुरू करा दया जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तयिों ली जाएंगी, जसिसे इसे अंतिम रूप दया जा सके।